प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.08.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 22.08.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर फरार चल रहे वांछित अभियुक्त उमेश उर्फ अर्जुन पुत्र विन्द्यादीन निवासी ग्राम सम्भावा पुरे इन्दई थाना गौरीगंज जिला अमेठी हाल पता बब्लू का किराये का मकान रिछपालपुरी थाना कोतवाली नगर कमि0 गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष को रेलवे रोड गाजियाबाद से आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त उमेश उर्फ अर्जुन उपरोक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि साहब सन्डे में हमारी छुट्टी रहती है तथा सन्डे में हम लोग पार्टी वगैरा करते हैं दिनांक 10.08.2025 को मैने व राकेश ने जो गांव के ही है तथा दूर के चाचा लगते है हमने पार्टी की तथा शराब पी, शराब पीने के कारण हम लोगो को ज्यादा नशा हो गया, इस दौरान राकेश चाचा मुझसे गाली गलौच करने लगे मैने रोका तो वह नहीं माने फिर मैने उनका सिर पकड़कर दीबार में मार दिया जिससे वह जमीन पर गिर पड़े फिर मैने सोचा अब इन्हें जान से ही खत्म कर दूं तो मैने कमरे में रखी ईंट को उठाकर उनके सिर पर 03-04 बार मारा और मैने देखा कि वह पूरी तरह से मर गया फिर मुझे डर लगा कि कोई देख लेगा तो मैने उनकी वॉडी को कम्बल में लपेट कर बगल वाले कमरे में पड़े दीवान बैड में छिपा दिया उसके बाद राकेश का भाई राजेश व महेश जो मेरे गांव के ही हैं आये उन्होंने राकेश के बारे में पूछा तो मेने उनको कहा कि राकेश यहां से चला गया था। उसके बाद मैने रात को करीब 3 बजे एक चादर में राकेश की डैड वॉडी को लपेटकर खींचकर छत पर ले गया तथा छत से नीचे नाले की ओर धकेल दिया। फिर सुबह मैं अपने काम पर चला गया था, काम में घबराहट होने लगी तो मैं निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़कर हरिद्वार ,ऋषीकेश चला गया वहां पर दो तीन दिन रुकने के बाद मैं फरीदाबाद आया और वहां से जन्माष्टमी के दिन मथुरा चला गया फिर वापस फरीदाबाद आया जहां पर दो दिन बेलदारी/मजदूरी की वहां पर एक व्यक्ति से मेरी दोस्ती हुई जो मुझे ललितपुर ले गया वहां एक दिन रुका और वहां पर एक व्यक्ति के फोन से घर पर फोन किया तो घर बालों ने कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था। आज मैं वकील से सलाह लेने के लिए गाजियाबाद आया था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

उमेश उर्फ अर्जुन पुत्र विन्द्यादीन निवासी ग्राम सम्भावा पुरे इन्दई थाना गौरीगंज जिला अमेठी हाल पता बब्लू का किराये का मकान रिछपालपुरी थाना कोतवाली नगर कमि0 गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल ईंट
- रक्त से सना कम्बल
- रक्त से सना तौलिया का टुकड़ा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

मु0अ0सं0 350/2025 धारा 103(1)238 बीएनएस थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-
थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.07.2025 को वादिया द्वारा थाना अंकुर विहार पर प्रार्थना-पत्र दिया कि मेरी पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को इरफान पुत्र शेरा निवासी मास्टर चक्की के पास डाबर तालाब लोनी गाजियाबाद बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त व पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही एवं पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 22.08.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इरफान पुत्र शेरा निवासी मास्टर चक्की के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद मूल निवासी कोट गांव थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष को नसबन्दी तिराहे के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों की आपस में जान-पहचान है तथा पिछले कई महिनों से हम एक-दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। एक दिन मौका पाकर मैं पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इरफान पुत्र शेरा निवासी मास्टर चक्की के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद मूल निवासी कोट गांव थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त इरफान उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तारी / पुलिस मुठभेड का विवरण

थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत हुई स्नैचिंग व लूट की घटनाओं के अनावरण व अपराध की रोकथाम हेतु उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण में स्नैचिंग व लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु दिनांक 21.08.2025 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा हिन्डन नहर 5/6 की पुलिया पर चेकिंग के दौरान कनावनी पुलिया की ओर से एक मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को आता देख रोकने का प्रयास किया गया खुद को पुलिस से घिरता देख बचने की नियत से मोटर साइकिल सवार व्यक्ति मोटर साइकिल को पीछे मोड़कर वापस कनावनी

पुलिया की ओर भागने लगा पुलिस पार्टी द्वारा पीछा करने पर मोटर साइकिल सवार व्यक्ति ने तमंचा निकाल कर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर सीधा फायर कर दिया। जिससे मौजूद पुलिस वाले बाल-बाल बच गये। बदमाश ने पुनः तमंचे को लोड करने का प्रयास उसी दौरान पुलिस पार्टी द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ की गयी जबाबी कार्यवाही में फायर किया गया। जिससे बदमाश के पैर में गोली लग गयी और बदमाश घायल हो गया। पुलिस पार्टी ने घायल बदमाश को बिना दोबारा फायर करने का मौके दिये 5/6 की पुलिया के पास से पकड़ लिया। घायल बदमाश ने अपना नाम अभियुक्त मौहम्मद आमिर कुरैशी पुत्र आस मौहम्मद निवासी ईस्लामिया मदरसे के पीछे थाना लोनी गाजियाबाद हाल पता मौहल्ला चैनापुरी थाना हापुड देहात जनपद हापुड उम्र करीब 27 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई है। उक्त चोरी की मोटर साइकिल के सम्बंध में थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा गाजियाबाद, हापुड़, दिल्ली में राह चलते लोगों से मोबाइल व चैन लूटकर दिल्ली में सस्ते दामों पर बेचकर पैसे कमाता है। बरामद मोटर साइकिल अभियुक्त उपरोक्त ने इन्दिरापुरम से ही चोरी की थी। आज भी अभियुक्त उपरोक्त गाजियाबाद चैन स्नैचिंग करने की फिराक में आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

आमिर कुरैशी पुत्र आस मौहम्मद निवासी ईस्लामिया मदरसे के पीछे थाना लोनी गाजियाबाद हाल पता मौहल्ला चैनापुरी थाना हापुड देहात जनपद हापुड उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 आमिर कुरैशी उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद, दिल्ली व आसपास के विभिन्न जनपदों में लूट, स्नैचिंग, पुलिस मुठभेड़, आर्म्स एक्ट के करीब डेढ़ दर्जन से भी अधिक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 21.08.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा निठौरा अन्डरपास के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा निठौरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार आ रहे 02 संदिग्ध व्यक्तियों को रूकने का इशारा किया गया परंतु पुलिस टीम के इशारे पर न रूकते हुए भागने लगे तथा पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया तो मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्तियों ने अपने को पुलिस टीम से घिरता देख कुछ दूरी से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिस पर पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायर किया जिसमें दोनों अभियुक्तगण के दाहिने व बाये पैर में गोली लग गई जिससे अभियुक्तगण घायल होकर नीचे गिर गये। पुलिस टीम द्वारा मौके से दोनों अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्तगण ने अपना नाम 1. रोहित पुत्र धर्मवीर उम्र 31 वर्ष, 2. वीर सिंह उर्फ भोला उम्र करीब 53 वर्ष पुत्र ज्ञान चन्द्र नि0गण ग्राम निठौरा थाना लोनी गाजियाबाद बताया जिनके कब्जे से 01-01 अवैध तमंचा, 01-01 खोखा कारतूस, 01-01 जिन्दा कारतूस, चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्त गण को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त गण से पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तगण थाना लोनी पर दिनांक 19.08.25 को पंजीकृत मु0अ0सं0 389/2025 धारा 64(2)(k) बीएनएस की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1.रोहित पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम निठौरा थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।
2.वीर सिंह उर्फ भोला पुत्र ज्ञान चन्द्र निवासी ग्राम निठौरा थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही/कब्जे से विभिन्न चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 18.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात द्वारा वादी की फैक्ट्री से विभिन्न प्रकार का सामान चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की तलाश/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 22.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण बिट्टू पुत्र तुलसीराम निवासी मदीना मस्जिद के पास मण्डोली दिल्ली उम्र 32 वर्ष 2.राजीव पुत्र रामचन्द्र निवासी चित्रगुप्त कालोनी गन्दा नाला मोहन मौहल्ला कोतवाली कासगंज जिला कासगंज हाल पता तुलसी निकेतन भोपुरा थाना टीलामोड कमि० गा०बाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, इनकी निशादेही/कब्जे से एल.ई.डी., ACER कम्पयूटर टी.एफ.टी., ZEBSTER कम्पयूटर टी. एफ.टी., इन्वर्टर लुम्नियस, बैट्री एम. टेक पावर, एक कट्टा जिसमें 07 बंडल तार व घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 स्पलेण्डर बरामद। जिसमें विवेचना से बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है बताया कि हम दोनों ने इसी 17 तारीख को एक गोदाम में चोरी की थी और इसी मोटरसाईकिल से चोरी के सामान को लाकर छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. बिट्टू पुत्र तुलसीराम निवासी मदीना मस्जिद के पास मण्डोली दिल्ली उम्र 32 वर्ष
2. राजीव पुत्र रामचन्द्र निवासी चित्रगुप्त कालोनी गन्दा नाला मोहन मौहल्ला कोतवाली कासगंज जिला कासगंज, हाल पता तुलसी निकेतन भोपुरा थाना टीलामोड कमि० गा०बाद

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद एल.ई.डी. Television Size लगभग 43 इंच
2. 01 अदद ACER कम्पयूटर टी.एफ.टी.
3. 01 अदद ZEBSTER कम्पयूटर टी. एफ.टी.,
4. 01 अदद इन्वर्टर लुम्नियस रंग नीला
5. 01 अदद बैट्री एम. टेक पावर रंग सफेद काला
6. 01 कट्टा जिसमें 07 बंडल तार (01 तार का बंडल काला रंग, 01 तार का बंडल लाल रंग, 01 तार का बंडल नीला रंग, 01 तार का बंडल हरा रंग, 01 तार का बंडल स्लेटी रंग, 01 तार का बंडल सफेद रंग, 01 तार का बंडल पीला रंग)
7. घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 स्पलेण्डर

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 19.08.25 को वादी द्वारा थाना मोदीनगर पर तहरीर दी गई कि उसकी बहन (मृतका) को उसके पति व ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित कर उसकी हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में वांछित अभियुक्तों की तलाश/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.08.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. जितेन्द्र कुमार पुत्र भीमसैन (पति) 2. भीमसैन पुत्र विजयपाल (ससुर) 3. शोभा पत्नी भीमसैन (सास) निवासीगण ग्राम गदाना थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद को बस अड्डा मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया तथा इनकी निशादेही पर आला कत्ल बरामद, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी मृतका से वर्ष 2022 में शादी हुई थी। मैं अतिरिक्त दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करता था तथा मारपीट भी करता था। दिनांक 19.08.2025 को मेरा व मेरी पत्नी का झगडा हुआ उस झगडे में मेरे द्वारा उसपर चाकू से गले तथा हाथों पर वार किया गया जिससे वह मर गयी, उसे घर पर छोड़ कर हम परिवार वाले घर से भाग गये। छिपते छिपाते हम लोग मोदीनगर से भागने के लिये आज बस अड्डा मोदीनगर पहुंचे तो आपने हमें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता–

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र भीमसैन (पति)
2. भीमसैन पुत्र विजयपाल (ससुर)
3. शोभा पत्नी भीमसैन (सास) निवासीगण ग्राम गदाना थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

1. आला कत्ल चाकू
2. मृतका का मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 22.08.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस मुठभेड़ के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त सरफराज मलिक उर्फ भाण्डा पुत्र रहीमुद्दीन मलिक निवासी डी ब्लाँक म0न0 डी 98 गली न0 1 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को डीएलएफ स्कूल कट सै0 2 राजेन्द्र नगर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सरफराज मलिक उर्फ भाण्डा पुत्र रहीमुद्दीन मलिक

उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 109(1), 317(2), 317(5), 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त सरफराज मलिक उर्फ भाण्डा पुत्र रहीमुद्दीन मलिक उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसका साथी नईम उर्फ चीरा पुत्र अजीज मलिक निवासी म0न0 डी 80 ब्लाक डी गली न01 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाज़ियाबाद मिलकर चोरी की मोटर साइकिल व स्कूटी से राह चलते लोगों से मोबाइल फोन छीनने की घटना कारित करते थे। इसी क्रम में दोनों अभियुक्त दिनांक 15.08.2025 को चोरी की मोटर साइकिल से शालीमार गार्डन में मोबाइल फोन छीनने के उद्देश्य से घूम रहे थे। उसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त नईम उर्फ चीरा पुत्र अजीज मलिक उपरोक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और अभियुक्त उपरोक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया था। जिसे आज मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। दोनों अभियुक्त घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल या स्कूटी को पकडे जाने के डर से सूनसान जगह पर छोड देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सरफराज मलिक उर्फ भाण्डा पुत्र रहीमुद्दीन मलिक निवासी डी ब्लाँक म0न0 डी 98 गली न0 1 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर स्नैचिंग, चोरी का माल बरामद होने, आर्म्स एक्ट व पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।